राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 5048 / 2022

नीरज कुमार शर्मा –अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सचिवालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य अभियंता (मुख्यालय) कार्यालय, मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जयपुर।
3. पिंकी चौधरी, कनिष्ठ अभियंता वर्तमान पदस्थापित स्थान मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.09.2022
आदेश की दिनांक : 11.11.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राजेश राज कुमावत, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से

समक्ष :– मातादीन शर्मा, सदस्य
एम.एस.काला, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी वर्तमान में कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यालय मुख्य अभियंता (मुख्यालय) जल संसाधन विभाग, जयपुर में आदेश दिनांक 24.11.2021 (अनुलग्नक–2) के अनुसार 2 वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षाणार्थी के रूप में पदस्थापित है। प्रत्यर्थी विभाग ने आलोच्य आदेश दिनांक 27.09.2022 (अनुलग्नक–ए / 1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से रेगुलेशन सब डिवीजन शिवपुर (मुख्यालय) श्रीगंगानगर में निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 के स्थान पर किया गया तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 जिनका कि एक माह पूर्व ही कनिष्ठ अभियंता के पद पर दो वर्ष का परीवीक्षाधीन पर नियुक्ति हुई है, का पदस्थापन बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को समंजित (Accommodate) करने के उद्देश्य से 550 कि.मी. दूर किया गया है।
3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की पत्नी गर्भवती महिला है, जिसकी डिलवरी 10–15 दिन में होने की संभावना है तथा अपीलार्थी के 2 वर्ष की पुत्री है। पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए परिवार की समस्त जिम्मेदारी

अपीलार्थी पर ही है, जिनकी देखभाल करने वाला परिवार में अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 27.09.2022 (अनुलग्नक–ए / 1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त करते हुए प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यालय मुख्य अभियंता (मुख्यालय) जल संसाधन विभाग, जयपुर में कार्यरत रहने एवं नियमित वेतन, समस्त परिलाभ प्रदान करने के आदेश फरमाये जावे।

4. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

5. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

6. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों / परिपत्रों / नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिये नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अभ्यावेदन को निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित किया जावे।

7. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(एम. एस. काला)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य